सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
अग्रहायण 6, गुरुवार, शाके 1936–नवम्बर 27, 2014 *Agrahayana 6, Thursday, Saka 1936– November 27, 2014*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचनाएं

जयपुर, नवम्बर 27, 2014

संख्या एफ.15(1)पंरावि/विधि/न.पालिका गठन/13/1567 :– स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना कमांक एफ.10(क)गठन/श्रेणी( )डी.एल.बी./14/2591 दिनांक 12–8–2014 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सख्या 18 वर्ष 2009) की धारा–3 सहपठित धारा 329 एवं पं.8(ग) ( )नियम/श्रेणी/एलएसजी/12/3825–4090 दिनांक 30–04–2012 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रूपवास के सम्पूर्ण क्षेत्र को चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित कर दिया गया है । जिसमें पंचायत की विद्यमान सीमाएं (उत्तर में ग्राम बरबार दक्षिण में ग्राम समाहद पूर्व में भिडयानी व रूध रूपवास तथा पश्चिम में दौरदा) ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रखी गई है ।

अतः राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सख्या–13) की धारा–101 में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, रूपवास की विद्यमान सीमाओं (उत्तर में ग्राम बरबार दक्षिण में ग्राम समाहद पूर्व में भिडयानी व रूध रूपवास तथा पश्चिम में दौरदा) को पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार से पृथक किया जाता है ।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101 के अनुसार ग्राम पंचायत, रूपवास के निर्वाचित सदस्य अब नगरपालिका, रूपवास के सदस्य होंगे तथा अधिनियम की धारा–101(4) के अनुसार उक्त पंचायत के निधि और पंचायत में निहित अन्य सम्पत्ति और अधिकार स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और पंचायत के दायित्व भी स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व हो जावेंगे ।

जयपुर, नवम्बर 27, 2014

विषय :– डिजिटली हस्ताक्षरित 'आवासीय भूमि का पट्टा' को अनुमान्य किये जाने बाबत।

संख्या एफ.4( )डिजी.पट्टा/विधि/पंरा/2014/1569 :– नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाओं को नागरिक सेवा केन्द्रों पर इलेक्ट्रोनिक डिलिवरी के माध्यम से जन सामान्य को चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाया जाना है। इस संदर्भ में प्रथम चरण में राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य को इस प्रयोजनार्थ पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी प्रकार के मानक तरीकों (Hologram, Water Mark, Bar Code, etc.) का उपयोग करते हुए तैयार किये गये एवं डिजिटल हस्ताक्षरित (Digital Signature) **आवासीय भूमि का पट्टा** उपलब्ध करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र Information Technology Act 2000 अध्याय 2 बिन्दु संख्या 3 एवं संशोधित आई.टी. एक्ट 2009 (Amended of Section 2 Act 2008) बिन्दु संख्या–ई पर प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता प्रदान की गई है।

इन प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा **आवासीय भूमि का पट्टा** जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर एवं पूर्व मुद्रित (Pre-Printed) स्टेशनरी जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी सभी प्रकार के मानक तरीकों (Hologram, Water Mark, Bar Code, etc.) का उपयोग को मान्यता (Recognition) प्रदान की जाती है। इस आदेश के तहत उक्त सेवा को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने की राज्य सरकार की सहमति एवं उक्त प्रक्रिया हेतु विभिन्न स्तर पर प्रयोग किये जाने वाले डिजिटल सिग्नेचर एवं इससे संबंधित प्रक्रिया को मान्यता (Recognition) प्रदान की जाती है।

आवासीय भूमि का पट्टा जारी करने के लिए सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत ई–मित्र केन्द्रों (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं ज़िले में प्रस्तावित नेशनल ई–गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किये जाने वाले CSC केन्द्रों (नागरिक सेवा केन्द्र) को अधिकृत किया जाता है।

उक्त सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेज़ ज़िले से संबंधित अधिकारी जिनके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा, के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

आज्ञा से,

राजेश यादव,

शासन सचिव एवं आयुक्त।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।